न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 53 / 2022

1 ईश्वर सिंह आयु वयस्क पुत्र श्री श्यामलाल जाति माली निवासी खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुंनूं राज.।
2 बिमला आयु व्यस्क पत्नी श्री श्यामलाल जाति माली निवासी खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 ग्यारसी देवी आयु व्यस्क पत्नी श्री हरिराम जाति माली निवासी खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
2 नरेन्द्र आयु व्यस्क पुत्र श्री हरिराम जाति माली निवासी खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
3 रोहिताश आयु व्यस्क पुत्र श्री हरिराम जाति माली निवासी खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
4 माईलाल पुत्र व्यस्क पुत्र श्री हरिराम जाति माली निवासी खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
5 बनाराम आयु व्यस्क पुत्र श्री हरिराम जाति माली निवासी खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
6 मोहनलाल पुत्र वयस्क पुत्र श्री चन्द्राराम जाति माली निवासी खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
7 घासीराम आयु व्यस्क पुत्र श्री मनसाराम जाति माली निवासी खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
8 बलबीर आयु वयस्क पुत्र श्र मनसाराम जाति माली निवासी खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
9 सियाराम आयु वयस्क पुत्र श्री श्यामलाल जाति माली निवासी खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
10 राजस्थान सरकार भूमिधार जरिये तहसीलदार चिड़ावा।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अ. धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम
1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.10.2010 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा बमुकदमा उनवानी हरिराम
बनाम बल्लाराम उर्फ बनाराम

उपस्थिति :

1. श्री लोकेश शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नन्दकिशोर , अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री हनुमानदत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 28/11/25

यह अपील विचारण उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 78/2010 में पारित निर्णय दिनांक 13.10.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी हरिराम की ओर से प्रतिवादी बनाराम, मोहनलाल, पप्पु, ईश्वर, घासी, बिल्लु के विरूद्ध ग्राम खुडाना की भूमि खसरा नम्बर 356, 512, 508, 513, 514, 736/356 के संदर्भ में घोषणा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 4 एवं प्रतिवादी संख्या 4 की माता बिमला की ओर से यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ दिनांक 11.04.2022 को प्रस्तुत की गई है। धारा 5 के आवेदन पर उभयपक्ष को सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्टस/प्रार्थीगण विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के आदेश दिनांक 13.10.2010 से व्यथित है। क्योंकि विचारण न्यायालय

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

ने अपीलान्टस संख्या 2 को दावा संख्या 78/2010 में नहीं सुना व उक्त दावे के वादी के द्वारा कपटपूर्वक फर्जी व्यक्तियों को रेस्पोडेन्टस बनाकर व फर्जी हस्ताक्षर करवाकर अपीलान्ट को बगैर सुने एवं बगैर कब्जे का विवेचन किये विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया। हस्तगत अपील वर्णित भूमि पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4 के पूर्वज हरिराम का कभी 1/2 भूमि पर कब्जा नहीं रहा। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4 भानाराम के 2 वारिसान में से एक चन्द्राराम के तीसरे पुत्र होने के अनुसार उक्त समस्त भूमि में चन्द्राराम के हिस्से में आई 1/2 भूमि का 1/3 हिस्स में ही काबिज है एवं उक्तानुसार ही काश्त करते है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 4 ने जो दावा नम्बर 60/2021 पेश किया है, उसमें भी जानबूझकर मुकदमा नम्बर 78/2010 के बाबत हुये निर्णय को इसलिए छिपाया कि रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वज हरीराम के द्वारा कपटपूर्वक प्राप्त किये गये निर्णय का पता अपीलान्टस को ना चल सके। मुकदमा नम्बर 78/2010 में जो निर्णय रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 लगायत 4 के पूर्वज हरिराम ने कपटपूर्वक करवाया तथा उक्त निर्णय के आधार पर इन्काल संख्या 417 दर्ज करवाया, उसकी जानकारी अपीलान्टस को कभी नहीं रही। हस्तगत दावा संख्या 60/2021 प्रस्तुत किये जाने के समय लॉकडाउन का द्वितीय फेज चल रहा था, जिसके पश्चात अपीलान्टस ने समस्त रिकार्ड व जानकारीयां जुटाई, तत्पश्चात लॉकडाउन का फेज 3 या गया जिसके बाद अपीलान्टस जल्द से जल्द हस्तगत पील न्यायालय श्रीमान के समक्ष अन्दर मियाद प्रस्तुत कर रहे है, फिर भी अगर न्यायालय श्रीमान उक्त प्रकरण को देरीना माने तो अपीलान्टस धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र हस्तगत अपील के साथ अपील की अनुमति हेतु यह प्रथक से प्रस्तुत कर रहे है। अपीलान्ट की अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील की विधिवत सुनवाई किये जाने की कृपा करें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में सीजे 2016 (2) सिवी. राज पेज 870, माननीय सुप्रिम कोर्ट द्वारा विविध आवेदन संख्या 21/2022,

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

665/21, 03/2020 में पारित निर्णय दिनांक 10.01.2022 की प्रति प्रस्तुत की।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.10.2010 के विरूद्ध दिनांक 11.04.2022 को 12 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट द्वारा दावा संख्या 60/2021 में दिनांक 10.06.2021 को विचाराधीन निर्णय की जानकारी होना कथन किया है। दिनांक 10.06.2021 से 11.04.2022 तक की अवधि का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील मियाद के बिन्दु के पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.10.2010 के विरूद्ध दिनांक 11.04.2022 को 12 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट द्वारा दावा संख्या 60/2021 में दिनांक 10.06.2021 को विचाराधीन निर्णय की जानकारी होना कथन किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में वादी हरिराम की ओर से प्रतिवादी बनाराम, मोहनलाल, पप्पु, ईश्वर, घासी, बिल्लु के विरूद्ध ग्राम खुडाना की भूमि खसरा नम्बर 356, 512, 508, 513, 514, 736/356 के संदर्भ में घोषणा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 4 एवं प्रतिवादी संख्या 4 की माता बिमला की ओर से यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ दिनांक 11.04.2022 को प्रस्तुत की गई है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय में लंबित वाद में अपीलान्ट ईश्वर की ओर से ईकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। यह अपील 12 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा विचाराधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 10.06.2021 को होने का कथन किया गया है। जानकारी के उपरांत भी अपील 10 माह के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट का प्रकरण में कथन रहा है कि विचारण न्यायालय में सम्यक तामील करवाये बिना झुठे हस्ताक्षर कर इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इकबाली जवाब दावे के कूटरचित होने के संदर्भ में सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। इस कथन के आधार पर अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं है। सम्यक एवं संतोषप्रद कारण के अभाव में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर